बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–17/2014– 5736/कृ0,पटना,दिनांक 18/12/,2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण कार्यक्रम का 615.71084 लाख रूपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार चौरासी रूपये), मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का 2250.00 लाख रूपये (बाईस करोड़ पच्चास लाख रूपये), मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण कार्यक्रम का 1500.015 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़ एक हजार पाँच सौ रूपये) एवं आकस्मिकता कार्यक्रम का 191.00 लाख रूपये (एक करोड़ एकानवे लाख रूपये) कुल 4556.72584 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रू०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 45.56726 लाख रूपये (पैंतालीस लाख छप्पन हजार सात सौ छब्बीस रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण कार्यक्रम का 615.71084 लाख रूपये (छः करोड़ पन्द्रह लाख एकहत्तर हजार चौरासी रूपये), मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का 2250.00 लाख रूपये (बाईस करोड़ पच्चास लाख रूपये), मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण कार्यक्रम का 1500.015 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़ एक हजार पाँच सौ रूपये) एवं आकस्मिकता कार्यक्रम का 191.00 लाख रूपये (एक करोड़ एकानवे लाख रूपये) कुल 4556.72584 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रू०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 45.56726 लाख रूपये (पैंतालीस लाख छप्पन हजार सात सौ छब्बीस रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से संशोधित उद्व्यय के आलोक में 4556.72584 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चौरासी रू०) के विरूद्ध कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम का मदवार विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाख रूपये में।) :–

मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	वित्तीय लक्ष्य
1. कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना	संख्या	3		615.71084
2. मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम	एकड़	75000	3000.00 रू० प्रति एकड़	2250.00

रामबाबू (आभांश सी० जैन)

D:\RAHUL\RAJADESH 2014-15\New Rajyadesh RKVY Revised Allocation 2014-15.docx

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण की योजना•	संख्या	1280+550= 1830	लागत का 50 प्रतिशत (61050.00 रू० प्रति इकाई एवं 130650.00 रू० प्रति इकाई)	1500.015
4. आकस्मिकता		—	—	191.00
			कुल	4556.72584

3. उपरोक्त योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

- **कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना** – बिहार राज्य में कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, पूर्णियाँ में पूर्व से स्थापित थे जिसमें छोटे–छोटे कृषि यंत्रों का प्रोटोटाइप निर्माण किया जाता था। यहाँ प्रोटोटाइप कृषि यंत्रों के निर्माण, रख–रखाव एवं साधारण मरम्मति का प्रशिक्षण, लोकल आर्टिजन, कृषि यंत्र निर्माता एवं तकनीकी कर्मी को दिया जाता था। कर्मियों के अभाव एवं लगातार सेवानिवृति के कारण सभी कर्मशाला मृतप्राय हो गया। वर्त्तमान में विभाग के द्वारा कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, पटना को पुर्नजीवित किया गया है, जिसमें उन्नत कृषि यंत्रों की साधारण मरम्मति कृषि यंत्र निर्माता के तकनीकी कर्मियों को कृषि यंत्र निर्माण का प्रशिक्षण प्रगतिशील कृषकों को यंत्र परिचालन, साधारण मरम्मति, रख–रखाव आदि से संबंधित प्रशिक्षण की कार्रवाई प्रारंभ करने की योजना है। इसी तरह राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी उपरोक्त प्रशिक्षण एवं कर्मशाला मशीनों का परिचालन की आवश्यकता है इसी उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण कर्मशाला, आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण की योजना प्रस्तावित है। तीनों कर्मशालाओं की प्राक्कलित राशि 723.36559 लाख रूपये है। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) एवं उप कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना के यहाँ कृषि अभियंत्रण कर्मशाला के जीर्णोद्धार मद में क्रमशः 57.65475 लाख एवं 50.00 लाख रूपये पूर्व से उपलब्ध है। जिसका उपयोग करते हुए 615.71084 लाख रूपये की आवश्यकता है जिसको प्रस्तावित किया गया है।
- **मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम** – अन्तर्वर्त्तीय खेती सघन खेती का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक फसलों का एक साथ लगाया जाता है। अन्तर्वर्त्तीय फसलों में एक खास दूरी रखतें है। इस विधि में दो फसलों को अलग–अलग पंक्तियों में लगाते हैं। मक्का के साथ मटर/राजमा के खेती से दलहन का अतिरिक्त उपज प्राप्त होता है क्योंकि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन एक मुख्य सस्ता श्रोत है तथा विगत वर्षों में दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता स्थिर रही है, जिससे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दलहन का उपलब्धता कम हो रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि दलहन का रकवा एवं उत्पादकता में वृद्धि लायी जाय। रबी मक्का बिहार में काफी अधिक रकवा में लगायी जा रही है। यदि मक्का के साथ दलहनी फसलें खासकर मटर/राजमा को अन्तर्वर्त्ती फसल के रूप में लिया जाय तो इसके अतिरिक्त दलहन का उपज प्राप्त होगा तथा भूमि की उर्वरता भी बढ़ेगी। जिससे किसानों के आर्थिक हालतें में सुधार होगा। ऐसे कुछ क्षेत्रों में मक्का के साथ मटर/राजमा के अन्तर्वर्त्ती खेती कर फसल प्रणाली में बदलाव कर कुछ नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्व में भी अन्तर्वर्त्ती फसलों का प्रत्यक्षण किया गया था। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं तथा अन्तर्वर्त्ती फसलों को लगाने की प्रवृति किसानों में बढ़ी है। इस क्षेत्रों में आगे भी इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्यक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 75000 एकड़ एवं वित्तीय लक्ष्य 2250.00 लाख रू० रखा गया है। उक्त योजना का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के मानदंड के अनुरूप कार्यान्वयन का निदेश दिया गया है। प्रत्यक्षण मॉडल यूनिट कॉस्ट कमिटि की बैठक से पारित है।
- **मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण की योजना** – 66'X66'X10' आकार के प्रति तालाब (बंड पर पौधारोपण के साथ) के निर्माण पर 1,22,100.00 रू० एवं 110'X100'X8' आकार के प्रति जल संचयन संरचना (पौधारोपण के साथ) के निर्माण पर 2,61,300.00 रू० कुल लागत/ब्यय निर्धारित है। कुल लागत का 50 प्रतिशत तालाब (बंड पर पौधारोपण के साथ) के निर्माण हेतु 61,050.00 रू० एवं जल संचयन संरचना (पौधारोपण के साथ) के निर्माण हेतु 1,30,650.00 रू० अनुदान के रूप में किसानों को दिया जायेगा। किसान को अनुदान भुगतान 2 स्तर पर किया जायेगा :– (क) कम से कम 50 प्रतिशत खुदाई के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का प्रथम किश्त कुल अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। (ख) निर्धारित आकार के अनुरूप तालाब की खुदाई, बांध

रामबाबू (आंशु सी० जैन)

पर पौधारोपण, ग्रास टर्फिंग का कार्य, बांध की नई मिट्टी में कटाव आदि की मरम्मति एवं सूचना पट आदि लगाने का काय पूर्ण कर लेने के पश्चात सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी द्वारा तालाब का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तालाब का निर्माण मार्गदर्शिका के अनुरूप किया गया है। तालाब निर्माण का कार्य मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्ण होने की स्थिति में सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/अभियंता द्वारा मापी कर उसे मापी पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा एवं लाभुक को अनुदान की राशि का अन्तिम किश्त कुल अनुदान का 50 प्रतिशत राशि भुगतान की अनुशंसा की जायेगी।

- **आकस्मिकता** – दिनांक– 02.09.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में कृषि प्रक्षेत्र के लिए आकस्मिकता मद में स्वीकृत 1.91 करोड़ रू० का व्यय प्रशासकीय/आकस्मिकता मद में किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

5. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

6. वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार के पत्रांक 7–1/2014–आर.के.भी.वाई. दिनांक 04.06. 2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में 391.73 करोड़ रू० उद्व्यय कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक 1–4/2014–आर०के०भी०वाई० दिनांक 29.08. 2014,पत्रांक1–4/2014–आर०के०भी०वाई०दिनांक12.09.2014एवं पत्रांक 1–4/2014–आर०के०भी०वाई० दिनांक 28.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सामान्य में कुल 391.73 करोड़ रू० राशि विमुक्त की गई है।

7. स्वीकृत राशि 45.56726 लाख रूपये (पैंतालीस लाख छप्पन हजार सात सौ छब्बीस रूपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007960231 विषय शीर्ष– 31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 5. 8916 करोड़ रूपये से विकलनीय होगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना का कृषि निदेशक/ संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना के परामर्श, मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० के परामर्श, मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण की योजना का कृषि निदेशक/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श एवं आकस्मिकता योजना का कृषि निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० के परामर्श के अनुसार संबंधित जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/कार्यान्वयण एजेंसी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि अभियंत्रण कर्मशाला आरा, पूर्णियाँ एवं मुजफ्फरपुर के जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण की योजना के कार्यान्वियन के लिए संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना, मक्का तथा दलहन के अन्तर्वर्त्ती फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला कृषि पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, आर०के०वी०वाई० तथा मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत तालाब निर्माण की योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना जिम्मेवार होगें। बामेती/आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 02.09.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

10. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में

रामबाबू (आभांशु सी० जैन)

मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 09.12.2014 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–17/2014 के पृ0सं0– 13/टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–17/2014 के पृ0सं0– ....16..... /टि० पर दिनांक– 17-12-2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विश्वनाथ चौधरी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 5736 /कृ0, पटना दिनांक 18/12/2014

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5736 /कृ0, पटना, दिनांक 18/12/, 2014

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5736 /कृ0, पटना, दिनांक 18/12/, 2014

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5736 /कृ0, पटना, दिनांक 18/12/, 2014

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/ सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, नालंदा, शेखपुरा एवं पटना /मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी०

रामबाबू (आभांशु सी० जैन)

मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

17.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5736 /कृ0, पटना, दिनांक 18/12/, 2014

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली–110011/ कृषि सलाहकार,योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.12.14

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

रामबाबू
(आभांशु सी० जैन)

D:\RAHUL\RAJADESH 2014-15\New Rajyadesh RKVY Revised Allocation 2014-15.docx